FORM No. III APP-A

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्ट्रर मुकाम....खींवसर

रूघनाथसिंह बनाम परसाराम

कस्म मुकदमा...राजस्व प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट....नं...59....सन्..2018

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
15.06.2018	

प्रार्थीगण ने जरिये विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया।

प्रार्थीगण ने जरिये विद्वान अधिवक्ता उक्त प्रा. पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है इसलिये हमें एक पक्षीय सुना जावें। वकील प्रार्थी के निवेदन पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड का अवलोकन किया गया ।

पत्रावली पर मोजुद रेकर्ड एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है इसलिए **आगामी पेशी तक बहक उभयपक्षकारान** के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित अंतरिम आदेश इस आश्य का जारी किया जाता है की मौजा भेड़ के विवादग्रस्त ~~प्रार्थी श्री [illegible] पुत्र [illegible] उर्फ [illegible] के मयुंक खातेदारी~~ के खेत ख.न. 186 रकबा 03 बिश्वा, ख.न. 187 रकबा 21.04 बीघा मे प्रार्थी के हिस्से में अप्रार्थीगण की प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे एवं किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करे। इस हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है,

उपरोक्त अंतरिम आदेश आगामी पेशी तक ही प्रभावी रहेगा।

अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस से तलब किया जावें अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन जरीये जबाव प्रस्तुत करें अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेंगी। मिशल वास्ते जबाव हेतु दिनांक 17.07.2018 पेश हो ।

सहायक कलक्ट्रर
खींवसर

17/7 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक. 17/9 को प्रस्तुत हो।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/5/22 पत्रावली पेश हुई। [illegible] मीटिंग में/ पीठासीन अ[illegible] हो चुका है/ भ्रमण/में है/ [illegible] पत्रावली आगामी अवकाश प[illegible] को पेश हो। दिनांक को 10/8/22	
10/8/22 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/ भ्रमण/में है/ स्थानान्तरण हो चुका है/ अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली आगामी दिनांक को 28/11/22 को पेश हो।	
2/12/22 पत्रावली पेश। वकलाम्रा उपस्थित। वादी एव प्रतिवादी को आसानगढ़ मे बार-बार आवाज दिलवायी गयी, मगर गैर हाजिर। बार-बार आवाज दिलवाने के पश्चात कोई भी उपस्थित नही होने के कारण इनके विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। वादीवादी के [illegible] कि वे उक्त प्रकरण मे कोई पैरवी नही करना चाहता। अतः वादीवादी के विरुद्ध पर उक्त प्रकरण को अदम पैरवी-अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर	